

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी:- रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.- 88/2020

दायरा दिनांक :- 21.10.2020

निर्णय दिनांक :- 31.03.2021

1. गिरधारी पुत्र फुसा जाति अहीर निवासी हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..... वादी

बनाम

1. जयचन्द
2. जगदीश
3. सत्यवीर पुत्रान श्रीचन्द
4. मु0 छोटा बेवाह श्रीचन्द जाति अहीरान निवासी हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. श्रीमान तहसीलदार (भूमिधारी) महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

..... प्रतिवादीगण

6. सरवती
7. बदामदेवी
8. मूर्ती पुत्रीयान फूसा जाति अहीरान निवासी हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

..... तरतीबी प्रतिवादीगण


दावा ईशतकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

:- पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री महेश चन्द यादव एडवोकेट उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 31.03.2021 को श्री रामसिंह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:-

वादी द्वारा अपने वाद को सुसंगत दस्तावेजात से साबित नहीं कर पाये जाने की स्थिति में काबिल अस्वीकार पाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के वादी के वाद को खारीज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0